राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.8 (क)(या)(   )डीएलबी/22/922   दिनांकः 01/02/2022

कार्यालय आदेश

माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा जयपुर एवं राज. सिविल सेवा अधिकरण, जयपुर में लम्बित विभागीय प्रकरणों में प्रभावी रूप से प्रतिरक्षण, मॉनिटरिंग एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता/गवर्नमेंट कौंसिल तथा प्रभारी अधिकारियों के मध्य सम्वन्यक के रूप में कार्य करने हेतु जयपुर के लिए श्री विकास अग्रवाल, वरिष्ठ विधि अधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग राज., जयपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता हैं।

समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी/प्रभारी अधिकारी जिनके प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय जयपुर के क्षेत्राधिकार के अध्यधीन आते है, अपने समस्त प्रकरणों की सूची मय वर्तमान स्थिति से नोडल अधिकारी को अवगत करायेंगे। भविष्य में मा0 उच्च न्यायालय जयपुर में प्रस्तुत किये गये जाने वाले समस्त प्रकरणों जैसे रिट, अपील, जवाब, प्रार्थना पत्र इत्यादि की एक प्रति उक्त नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। लाईट्स सॉफ्टवेयर में दर्ज प्रकरणों में अपलोड/इन्द्राज/अपलोडेशन/पालना इत्यादि की प्रोग्रेस बाबत भी नोडल अधिकारी को अवगत करायेंगे। नोडल अधिकारी इस बाबत् परिषद्/पालिका का निरीक्षण/मीटिंग कर समय पर की गई कार्यवाही से निदेशालय को अवगत करायेंगे। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की सही समय पर पालना नहीं करने वाले अथवा सम्बन्धित अन्य किसी कार्य में उदासीनता एवं लापरवाही करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नोडल अधिकारी की अनुशंसा पर अनुशासनात्मक कार्यवाही नियमानुसार की जा सकेगी।

(हृदेश शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः प.8(क)(या)(   )डीएलबी/22/923-1148   दिनांकः 01/02/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वा0 शा0 विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
02. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वा0 शा0 विभाग, निदेशालय जयपुर।
03. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान।
04. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, समस्त नगरीय निकायों को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की पालना में अपने अधिनस्थ समस्त कर्मचारी/अधिकारी/प्रभारी अधिकारीगण को अवगत कराने का श्रम करें।
05. श्री विकास अग्रवाल, वरिष्ठ विधि अधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग राज., जयपुर।
06. संयुक्त निदेशक (प्लान) निदेशालय।
07. प्रोग्रामर, आई टी शाखा, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने बाबत।
08. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

D:\DLB\RAMDHAN JI\ORDER DOC